Pukaan Nirman

संख्या 6596/26-3-82-11(71)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 24 मई, 1982

विषय :—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में किराया क्रय पद्धति पर आवंटन हेतु दुकानों का निर्माण ।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-8866/26-3-81-11-(71)/81, दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र के लिये भवनों को निर्माण कराकर उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में उपयोग किये जाने हेतु निम्नलिखित 3 रूप-पत्र, जो संलग्न है, निर्धारित किये गये हैं:—

(1) दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र ।

(2) आवंटन आदेश का कार्यालय-ज्ञाप ।

(3) आवंटन के सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाला विलेख ।

विलेख 3 प्रतियों में निष्पादित किया जायेगा । मूल विलेख आवंटी को दे दिया जायेगा और उसकी द्वितीय प्रति जिला प्रबन्धक के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तीसरी प्रति प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ को भेज दी जायेगी । विलेख की प्रत्येक प्रति के प्रथम पृष्ठ पर आवंटी का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका कर जिला प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित करके मोहर लगा दी जायेगी ।

2—इन सभी प्रपत्रों की सुस्पष्ट प्रतियां साइक्लोस्टाइल कराकर पर्याप्त संख्या में तैयार करा ली जाए और आवंटी को उपयोग के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए ।

3—अनुरोध है कि जैसे-जैसे दुकानों का निर्माण पूरा हो, उनका आवंटन पात्र व्यक्तियों को यथा-सम्भव शीघ्र कर दिया जाए । इसके लिये यह आवश्यक है कि दुकानों का निर्माण प्रारम्भ होते ही आवेदन-पत्र मांगने तथा चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए । आवंटन करने के पूर्व आवश्यक जांच के उपरान्त यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि:—

(1) प्रार्थी अनुसूचित जाति का है ।

(2) प्रार्थी उसी चयनित विकास खण्ड का स्थायी निवासी है जिसके धन से दुकानों का निर्माण किया गया है ।

(3) प्रार्थी के परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय रु० 3,500 से अधिक नहीं है ।

(4) प्रार्थी के पास उद्योग/व्यवसाय चलाने योग्य कोई दूकान या मकान नहीं है ।

(5) प्रार्थी जो उद्योग/व्यवसाय चला रहा है अथवा जिसके चलाने के लिये उसे किसी बैंक/केवल योजना में आर्थिक सहायता दी गई है उसके चलाने के लिये प्रश्नगत दूकान का आवंटन आवश्यक है ।

4--कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दुकान-समूह के ऊपर मध्य में खादी की चादर का एक बड़ा साइन बोर्ड मजबूती से लगा दिया जाए जिस पर काली चमकदार पृष्ठभूमि में सफेद रंग के बड़े और सुन्दर अक्षरों में निम्नलिखित लिखा हो:--

माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा से संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिये निर्मित उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र। निर्माण वर्ष..... हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव।

पृ0सं0-6569(1)/26-3-82-11(71)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, संलग्नक की प्रति सहित, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0), उत्तर प्रदेश।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(5) निजी सचिव, मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण।

आज्ञा से,
चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव

(दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र)

सेवा में,

अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0),
पदेन जिला प्रबन्धक,
उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,
जनपद..........

विषय :--स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकानों का किराया-क्रय-पद्धति पर आवंटन ।

महोदय,

मैं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्ड--------------मो0/गांव-------------------- पोस्ट ---------------का स्थायी निवासी हूं । इस समय मेरा पेशा-----------है जिससे मुझे लगभग रु0 ----------------को मासिक आय हो जाती है । मेरे परिवार के वालिग सदस्य (1)---------------(2)---------------------(3)-------------------------हैं जिनकी मासिक आमदनी------------------है । इस प्रकार मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से मासिक आमदनी रु0 3,500 से कम है । मेरा अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र तथा गरीबी की रेखा के नीचे होने के प्रमाण में आय प्रमाण संलग्न है ।--------------उद्योग/व्यवसाय चलाने योग्य मेरे पास कोई दुकान या मकान नहीं है ।

2--अतः मुझे अपना ------- -----उद्योग/व्यवसाय चलाने हेतु विकास खण्ड-----------के ------------ स्थान पर निर्मित दुकानों में से एक दुकान किराया क्रय पद्धति पर आवंटित करने का कष्ट करें । मैं आवंटन की सभी शर्तों को मानने तथा वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए तैयार हूं ।

3- मुझे आवंटन की निम्नलिखित मौलिक शर्तें पूरी तरह स्वीकार हैं कि :--

(1) आवंटित दुकान का उपयोग केवल मेरे अथवा मेरे उत्तराधिकारियों द्वारा निजी उद्योग/व्यवसाय चलाने के लिये किया जायेगा ।

(2) आवंटित दुकान मेरे अथवा मेरे उत्तराधिकारियों द्वारा कभी किराये पर नहीं उठायी जायेगी और न किसी को बेची अथवा अन्यथा किसी प्रकार हस्तांतरित की जायेगी ।

(3) जब मुझे अथवा मेरे उत्तराधिकारी को निजी उद्योग/व्यवसाय के लिये इस दुकान की आवश्यकता नहीं होगी तो इसे आवंटित को वापस कर दिया जायेगा ।

(4) उपरोक्त तीनों शर्तें दुकान के 50 प्रतिशत रु0 मूल्य की अदायगी के बाद भी लागू रहेंगी और उनका पालन मेरे तथा मेरे उत्तराधिकारियों का परम कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा ।

भवदीय,

दिनांक--

हस्ताक्षर--
प्रार्थी का नाम--
पता का नाम--
पता--

जांच आख्या

प्रार्थी श्री-----------------------पुत्र----------------निवासी------------के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्य जांच के पश्चात सही पाये गये । अतः मैं इन्हें वांछित विकास खण्ड/स्थान में निर्मित दुकानों में से एक दुकान आवंटित किये जाने की संस्तुति करता हूं।

खण्ड विकास अधिकारी/सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) ।

प्रदेशन (आवंटन)

जिला समन्वय समिति (हरिजन कल्याण)------------------की बैठक दिनांक--------------में श्री -------------------पुत्र ------------------को विकास खण्ड-----------में---------स्थान पर निर्मित दुकानों में से दुकान संख्या---------------आवंटित की गयी ।

जिला प्रबन्धक-----------------
जनपद------------------

कार्यालय अपर जिला विकास अधिकारी

(पदेन–जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0)

संख्या——————————

जिला——————————

दिनांक——————————

कार्यालय ज्ञाप

श्री——————————को उनके आवेदन पत्र दिनांक——————————के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि जिला समन्वय समिति (हरिजन कल्याण) के दिनांक——————————को लिये गये निर्णय के अनुसार उनको——————————स्थान पर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकान संख्या——————————किराया क्रय पद्धति के आधार पर आवंटित की गयी है। भूमि सहित इस दुकान का कुल मूल्य रु0——————————है जिसका 50 प्रतिशत, जो रु0——————————होता है, उनके द्वारा इस आदेश की तारीख के 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। इस पर उनके द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2—आवंटित दुकान का कब्जा दिये जाने के पूर्व आवंटी को एक विलेख 3 प्रतियों में निष्पादित करना है। प्रत्येक प्रति के प्रथम पृष्ठ पर आवंटी की पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाई जायेगी। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है वे अपनी फोटो की 3 प्रतियों सहित विलेख के निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 15 दिन के अन्दर उपस्थित हों।

श्री——————————

पुत्र श्री——————————

निवासी गांव——————————

पोस्ट——————————

जिला——————————

अपर जिला विकास अधिकारी,
पदेन जिला प्रबन्धक।

पृ0 सं0——————————

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, बी–912, सेक्टर "सी", महानगर, लखनऊ।

(2) लेखा लिपिक/सहायक प्रबन्धक।

(अपर जिला विकास अधिकारी)
पदेन जिला प्रबन्धक।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के धन से निर्मित दुकानों के अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों का आवंटन का अनुबन्ध पत्र

यह विलेख दिनांक————————————————को अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0)/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0—————————— ——— (प्रथम पक्ष), जिसे इस विलेख में एतद उपरान्त "आवंटक" कहा गया है, तथा श्री——————————आत्मज श्री———————————— जाति————————————निवासी गांव ————————————डाकखाना——— ——— ———विकास खण्ड ——— ————————————तहसील————————————जिला——————————(द्वितीय पक्ष), जिसे इस विलेख में एतद उपरान्त "आवंटी" कहा गया है, के मध्य निष्पादित हुआ।

आवंटी का फोटो

यत:

1——स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिये चयनित————————विकास खण्ड के निवासी अनुसूचित जातियों के निर्धन व्यक्तियों के लिये किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाने हेतु——————————स्थान पर———————— दुकानों का निर्माण किया गया है

2——दुकानों के निर्माण मूल्य का 50 प्रतिशत आवंटी के पक्ष में अनुदान मानते हुए शेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटी से आवंटन के 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है जिस पर उसके द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3——आवंटी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिये गये प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए आवंटक ने दुकान संख्या——————आवंटी को परियोजना से सम्बन्धित गठित जिला समिति के अनुमोदन से आवंटन करने का निर्णय लिया है।

अत: यह विलेख साक्षी है कि आवंटक द्वारा रु0————————————के लागत से निर्माण की गई दुकान संख्या आवंटी को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप आवंटी निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों का पालन करेगा:—

(1) दुकान की निर्माण लागत की 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु0——————————(शब्दों में) आवंटी द्वारा आवंटन की तारीख से 1 वर्ष बाद 120 समान मासिक किस्तों में रु0——————————की दर से अदा की जायेगी। प्रथम किस्त की देय तारीख——————————————होगी तथा अन्तिम किस्त की देय तारीख————————————होगी।

(2) आवंटी इस दुकान में——————————————सम्बन्धी उद्योग/व्यवसाय करेगा।

(3) आवंटी इस दुकान को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने अथवा किराये पर उठाने का किसी भी समय अधिकारी नहीं होगा और न कभी ऐसा करेगा।

(4) जब कभी आवंटी को दुकान के उपयोग करने की आवश्यकता न रहे तो वह इस दुकान को आवंटक को वापस कर देगा।

(5) आवंटी द्वारा मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित तिथि पर अथवा उसके पूर्व आवंटक के जिला कार्यालय में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करली जायगी अथवा आवंटक द्वारा बतलाये गये बैंक में आवंटक के खाते में जमा करके बैंक से रसीद प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) आवंटी द्वारा अपना छोटी साइज का फोटो प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे इस विलेख के मुख्य पृष्ठ पर चिपका कर आवंटक द्वारा प्रमाणित कर दिया जायेगा।

(7) इस विलेख द्वारा निर्धारित समस्त किस्तों के भुगतान के उपरान्त आवंटी को दुकान का स्वामित्व ऊपर उल्लिखित शर्त संख्या (3) और (4) के अधीन रहते हुए स्वयमेव प्राप्त हो जायेगा।

(8) दुकान की मरम्मत और रख-रखाव का उत्तरदायित्व आवंटी का होगा। इसी प्रकार दुकान के ऊपर अथवा उसके सम्बन्ध में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई कर लगाया जाता है तो उसके भुगतान का उत्तरदायित्व भी आवंटी का होगा।

(9) आवंटी द्वारा किसी भी धनराशि के अदा नहीं किये जाने पर उसकी वसूली आवंटक द्वारा भू-राजस्व के बकाये की भांति की जा सकेगी और उस दशा में वसूली पर होने वाला समस्त व्यय आवंटी वहन करेगा।

(10) आवंटित दुकान संबंधी समस्त वाद विवादों पर आवंटक का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

4——इस विलेख में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, आवंटक को सर्वदा यह अधिकार होगा कि यदि इस बात का साक्ष्य मिले कि आवंटी अनुसूचित जाति का नहीं है अथवा आवंटन के पूर्व उसके परिवार के समस्त सदस्यों को समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय रु0 3,500 से अधिक थी अथवा आवंटी के पास आवंटन के पूर्व कोई दुकान थी अथवा आवंटी दुकान का उपयोग स्वयं नहीं कर रहा है और उसने दुकान को किसी को किराये पर उठा दिया है अथवा अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया है तो इस बात के बावजूद कि आवंटी ने दुकान का आधा मूल्य अदा कर दिया है, वह आवंटन को निरस्त कर दे और आवंटी अथवा उसकी ओर से दुकान के काबिज प्रत्येक व्यक्ति की बेदखली की कार्यवाही करे अथवा कराये।

5——इस विलेख में शब्द "आवंटी" में उसके उत्तराधिकारियों का अन्तर्भाव है।